तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/683/2005/श्रीगंगानगर अब्दुल सतार बनाम अब्दुल गफार	नम्बर व तारीख

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
एकलपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –
श्री अभिषेक छाबडा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 23–01–2023

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या–199/2004 बउनवानी अब्दुल गफूर बनाम अब्दुल सतार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24–01–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील श्रीविजयनगर के चक 2 जी.बी. के पत्थर नम्बर 110/365 के किला नम्बर 11, 19 20 एवं 21 कुल रकबा 3.10बीघा भूमि माहरम खां पुत्र गहना की खातेदारी में तथा किला नम्बर 14, 15, 16, 17 व 18 की कुल रकबा 4.10बीघा भूमि माहरमखां पुत्र गहना की गैर खातेदारी में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी, जो अपीलार्थी अब्दुल सतार का नाना है। माहरम खां ने उपरोक्त वर्णित 8.00बीघा भूमि का तमलीकनामा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कर उप पंजीयक अनूपगढ के यहां दिनांक 26–12–1975 को पंजीकृत करा दिया। माहरम खां की मृत्यु दिनांक 29–8–1995 को हो गयी। तमलीकनामा दिनांक 26–12–1975 में वर्णित 3.10बीघा भूमि अपीलार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी किन्तु 4.10बीघा भूमि गैर खातेदारी की होने से अपीलार्थी के नाम दर्ज नहीं हुई। माहरमखां की मृत्यु के पश्चात् किला नम्बर 14, 15, 16, 17 व 18 की कुल रकबा 4.10बीघा भूमि का विरासत का नामान्तकरण संख्या–90 स्वीकृत हुआ, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ के न्यायालय में अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31–3–2003 से स्वीकार कर तहसीलदार को निर्देश दिये कि धारा 13 ए(1–ए) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम का प्रकरण बना कर पेश करें। तत्पश्चात् तहसीलदार ने दिनांक 19–6–2003 को प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ के न्यायालय में पेश किया, जिसमें अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 8–9–2003 से सशर्त नियमन आदेश जारी किये। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 10–2–2004 से अपने पूर्व आदेश दिनांक 8–9–2003 में बैयनामा के स्थान पर तमलीकनामा शब्द प्रतिस्थापित किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/683/2005/श्रीगंगानगर अब्दुल सतार बनाम अब्दुल गफार	नम्बर व तारीख

न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24-1-2005 से आंशिक स्वीकार कर प्रकरण निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क किया कि वादग्रस्त आराजी महरमखां के नाम दर्ज थी जिसका देहान्त दिनांक 29-8-1995 को हुआ है, उससे पहले दिनांक 26-12-1975 को तमकीलनामा (ग्रिफ्ट) अपीलान्ट के नाम कर दी थी लेकिन इसमें से 04बीघा 10बिस्वा भूमि गैर खातेदारी में दर्ज होने के कारण अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला और शेष 03बीघा 10बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण संख्या-90 खोला गया था, जिसकी अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत होने पर निर्णय दिनांक 31-3-2003 से प्रकरण रिमाण्ड कर दिया और तहसीलदार श्रीविजयनगर को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13-ए(1ए) के तहत प्रकरण बना कर पेश करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में दिनांक 8-9-2003 को नियमन कर दिया और दिनांक 10-2-2004 को संशोधित आदेश भी किये गये। भू-राजस्व अधिनियम के तहत अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के पेश की, जिसे स्वीकार कर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर को रिमाण्ड कर दिया कि दोनों को सुनकर पुनः आदेश पारित करें जबकि दोनों को सुनने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ग्रिफ्ट तो अपीलार्थी के नाम से है। नियम 13-ए(1ए) स्टेट के विरूद्ध ही होती है, रेस्पोडेन्ट संख्या-1 व 2 को कोई लोकस ही नहीं था। क्षेत्राधिकार के बाहर आदेश पारित किया है। इस प्रकरण में कोई साक्ष्य की आवश्यकता थी, दिनांक 8-9-2003 का आदेश स्पष्ट है जिसमें कोई हस्तक्षेप का आधार नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश अपास्त किया जावे और दिनांक 8-9-2003 के आदेश की पुष्टि की जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट ने तर्क किया कि महरमखां की मृत्यु होना निर्विवाद है और अपीलार्थी महरमखां के वारिस है गैर खातेदारी की विरासत का ही नामान्तरकरण होगा गैर खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह पूर्ण स्वामी नहीं होता है। सुनवाई का अवसर दिये जाने के ही आदेश दिये गये है। अपीलार्थी को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व अपील प्राधिकारी , श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 199/2004 अब्दुल गफूर ने अब्दुल सतार के विरूद्ध पेश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/683/2005/श्रीगंगानगर अब्दुल सतार बनाम अब्दुल गफार	नम्बर व तारीख

की गयी थी, जो मियाद बाहर पेश की गयी थी, जिस पर दिनांक 4–6–2004 की आदेशिका के अनुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दू पर सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज की गयी थी और इस अपील का निर्णय दिनांक 24–1–2005 को किया गया है लेकिन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर कोई निष्कर्ष अथवा निर्णय नहीं दिया गया है और धारा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दू को तय किये बिना ही यह निर्णय पारित किया गया है जबकि आदेश 41 नियम 3–ए सीपीसी में प्रावधित प्रावधान के अनुसार अपीलीय न्यायालय को धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण पहले करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है और डीले कण्डौन भी नहीं की गयी है जबकि देरी के बिन्दू को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना आवश्यक है और कानूनी तौर पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13–ए(1ए) का विवेचन किया बिना ही प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है और कोई स्पष्ट निष्कर्ष भी नहीं दिया गया है कि विचारण न्यायालय को क्या करना है। इस प्रकार भ्रामक भाषा में प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने की परम्परा से दूर रखना चाहिए और जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री दस्तावेज, अभिवचन उपलब्ध है तो उनके आधार पर ही स्पष्ट निर्णय दिया जाना चाहिए।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या–199/2004 बउनवानी अब्दुल गफूर बनाम अब्दुल सतार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24–01–2005 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देश दिये जाते है कि सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र का निस्तारण करे । तत्पश्चात् अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में दिनांक 27–2–2023 को उपस्थित हो।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर को भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)

सदस्य